भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2381

(07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण उद्यम इन्क्यूबेटरों को सहायता

2381. श्री सतनाम सिंह संधू:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा पंजाब और केरल में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) सहित ग्रामीण उद्यम इन्क्यूबेटरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन्क्यूबेटर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले राज्यों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है और इससे अब तक लाभान्वित हुई महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय महिला संचालित ग्रामीण उद्यमों के लिए इन्क्यूबेटर मॉडल को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में विस्तारित करने का विचार रखता है; और

(घ) ये प्रयास विकसित भारत @ 2047 के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ किस प्रकार संरेखित हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई- एनआरएलएम) के अंतर्गत एक मांग-आधारित उप-योजना के रूप में ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटर कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार किसी सक्षम तकनीकी इनक्यूबेटर एजेंसी के साथ भागीदारी में, राज्य के भीतर उद्यमशीलता की संभावना और अपनी कार्यान्वयन तत्परता के आधार पर इस कार्यकलाप को अपना सकते हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च-संभावना वाले महिला-स्वामित्व वाले और महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के विकास में तेजी लाना है, ताकि उन्हें सूक्ष्म से लघु उद्यम की श्रेणी तक बढ़ने में सुविधा प्रदान करने हेतु संरचित तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय और बाजार विकास

सहायता प्रदान की जा सके। यह स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों और उनकी सामुदायिक संस्थाओं द्वारा प्रोन्नत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन उद्यमों पर जिनका वार्षिक कारोबार व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में ₹12 लाख और समूह उद्यमों के मामले में ₹15 लाख से अधिक है।

कार्यक्रम इनक्यूबेशन सेवाओं, चुनौती निधि सहायता, (चैलेंज फंड सपोर्ट) उद्यमी क्षमता निर्माण, परियोजना प्रबंधन, निगरानी और अन्य स्वीकृत कार्यान्वयन व्ययों के लिए प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ₹10.70 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत, केरल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (कुडुम्बश्री) ने ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटर की स्थापना हेतु मई 2024 में भारतीय प्रबंध संस्थान कोषिक्कोड - लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईएम लाइव) के साथ भागीदारी की। आज की तारीख के अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटर की स्थापना हेतु पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) से कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

इनक्यूबेटर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले राज्यों और संस्थाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के दौरान, 4 राज्यों (असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक) में ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटरों के माध्यम से 600 एसएचजी उद्यमों को इनक्यूबेट किया गया।

(ग) प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, मंत्रालय ने इस मांग-आधारित कार्यक्रम को सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम/सं.रा.क्षे.आरएलएम) तक विस्तारित कर दिया है। अब तक, 18 ग्रामीण इनक्यूबेटरों की स्थापना हेतु 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है और जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटर कार्यक्रम सरकार की विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है जो सतत महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देकर, ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके तथा वित्त, प्रौद्योगिकी, उद्यम औपचारिकीकरण, बाजारों और विशेष व्यावसायिक परामर्श सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सतत, प्रतिस्पर्धी और विस्तारणीय व्यवसाय बनाना है, जिससे स्थानीय रोजगार सृजित हो, ग्रामीण आजीविका मजबूत हो और लखपति दीदी की परिकल्पना की प्राप्ति में योगदान मिले।

"ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटरों को सहायता" के संबंध में राज्यसभा में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2381 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

डीएवाई- एनआरएलएम के अंतर्गत स्वीकृत ग्रामीण उद्यम इनक्यूबेटरों का राज्यवार विवरण:

क्रम सं.	राज्य एसआरएलएम	इनक्यूबेटर भागीदार
1	केरल एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान कोषिक्कोड - लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईएम लाइव), केरल
2	आंध्र प्रदेश एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखपट्टनम - फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप डेवलपमेंट (आईआईएम वी फील्ड), आंध्र प्रदेश
3	तेलंगाना एसआरएलएम	बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी - हैदराबाद टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (बिट्स - टीबीआई)
4	उत्तराखंड एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर - फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (आईआईएम एफआईईडी)
5	त्रिपुरा एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता इनोवेशन पार्क (आईआईएम सीआईपी)
6	झारखंड एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता इनोवेशन पार्क (आईआईएम सीआईपी)
7	ओडिशा एसआरएलएम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर (आईआईटी-भुवनेश्वर)
8	तमिलनाडु एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोषिक्कोड (आईआईएम लाइव)
9	राजस्थान एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर इनक्यूबेशन सेंटर (आईआईएम आईसी)
10	असम एसआरएलएम	नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब, असम कृषि विश्वविद्यालय (एनईएटीईहब एएयू)
11	तेलंगाना एसआरएलएम	टी-हब इनोवेशन इकोसिस्टम, हैदराबाद
12	महाराष्ट्र एसआरएलएम	अटल इनक्यूबेशन सेंटर - रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (एआईसी-आरएमपी), ठाणे, महाराष्ट्र
13	छत्तीसगढ़ एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट
14	मध्य प्रदेश	आईआईएम इंदौर इनक्यूबेशन फाउंडेशन

	एसआरएलएम	
15	पश्चिम बंगाल एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता इनोवेशन पार्क (आईआईएमसीआईपी) - पूर्ण
16	बिहार एसआरएलएम	
17	असम एसआरएलएम	
18	कर्नाटक एसआरएलएम	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बंगलूरु - नादाथुर एस. राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग (एनएसआरसीईएल) - पूर्ण